अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गॉधी नरेगा)

एफ 1 (2) ग्रावि/नरेगा/भा.स/मा.द/2010–11 पार्ट II जयपुर दिनांक 24 JAN 2012

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर, समस्त।

विषय :–महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार की मांग हेतु श्रमिकों को फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था बाबत।

प्रसंग :–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 31.1.2011, 4.2.2011 एवं 12.5.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी रोजगार मांग पत्र फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। राजकीय विद्यालय से फार्म नं. 6 उपलब्ध नही कराने बाबत भी निर्देशित किया गया। प्रासांगिक पत्रों के अधिक्रमण में ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कार्यकम अधिकारी पंचायत समिति के अतिरिक्त फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने एवं प्राप्त करने हेतु निम्न को अधिकृत किया जाता है –

1	सरपंच	6	पटवार घर
2	वार्ड पंच	7	निरीक्षक–भू–अभिलेख
3	नरेगा कार्यस्थल	8	आंगनबाड़ी केन्द्र
4	मेट	9	आशा सहयोगिनी
5	राशन दुकान	10	उप स्वास्थ्य केन्द्र

उपरोक्त अधिकृत स्थानों/कार्मिको के माध्यम से नरेगा योजना में रोजगार की मॉग हेतु फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने एवं प्राप्त करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. उपरोक्त अधिकृत स्थानों से फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने के साथ साथ इन स्थानों के संबंधित कार्मिकों द्वारा फार्म नं. 6 को प्राप्त कर इसकी दिनांकित प्राप्ति रसीद भी जारी की जावेगी एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को अधिकतम 3 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र समय पर नही भिजवाने की स्थिति में संबन्धित कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. इन अधिकृत स्थानों से फार्म नं. 6 प्राप्त होने अथवा प्राप्त कर ग्रामसेवक एवं ग्राम रोजगार सहायक तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधिकृत व्यक्ति द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. फार्म नं. 6 का संशोधित प्रारूप संलग्न है। इस प्रारूप अनुसार पर्याप्त मात्रा में संबंधित स्थानों पर फार्म नं. 6 की उपलब्धता सुनिश्चित करावे। इसके अतिरिक्त फार्म न. 6 राज्य की वेबसाइट nrega.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है। रोजगार की मांग करने वाले श्रमिक द्वारा इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर काम में लिया जा सकता है।

4. ग्रामसेवक/ग्राम रोजगार सहायक इन अधिकृत स्थानों पर आवेदन पत्र फार्म संख्या 6 की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

5. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 4.2.2011 के अनुसार किसी भी अधिकृत स्थान पर यदि कोई श्रमिक आकर मौखिक रूप से महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत कार्य करने हेतु निवेदन करे तो निर्धारित स्थानों पर कार्यरत राजकीय कर्मचारी उस श्रमिक के लिए फार्म न. 6 स्वंय भरकर श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लगायेंगे एवं श्रमिक को आवेदन पत्र फार्म न. 6 की प्राप्ति रसीद जारी करेंगे।

6. अधिकृत स्थानों के विभागों से संबंधित जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण तथा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इन स्थानों पर रोजगार मांग पत्र फार्म न. 6 की उपलब्धता, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राप्ति रसीद जारी करने तथा प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत तक पहुँचाने बाबत नियमित समीक्षा करेंगे।

7. ग्राम पंचायत की प्रत्येक साप्ताहिक बैठक एवं नरेगा स्थाई समिति की बैठक में इस बिन्दु को स्थाई एजेण्डा के रूप में रखते हुए अधिकृत स्थानों पर आवेदन पत्रों की उपलब्धता, आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांकित रसीद जारी करना एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना ग्राम पंचायत तक पहुँचने एवं आवेदकों को निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध कराने की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जावे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण पालना एवं इस गतिविधि की समय समय पर समीक्षा करना सुनिश्चित करे।

भवदीय

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग/राजस्व विभाग/महिला एवं बाल विकास को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों की पालना हेतु विभागीय स्तर से भी आदेश जारी करने का श्रम करावे।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति सभी अधिकृत स्थानों के जिला स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए पालना सुनिश्चित करावे।
3. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पं.स समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर नरेगा योजना के कियान्वयन से जुडे हुए प्रत्येक कार्मिक तथा उक्त सभी अधिकृत स्थानों के ग्राम/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तरीय कार्मिकों/अधिकारियों को इस पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए पालना सुनिश्चित करावे।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

रोज़गार मांग हेतु आवेदन पत्र फार्म नं. 6 का प्रारूप

(इस प्रारूप में अथवा इस प्रारूप में सादे कागज पर हाथ से लिखकर अथवा इसकी फोटोकॉपी में भी आवेदन दिया जा सकता है।)

महात्मा गाँधी नरेगा योजना में रोज़गार मांग हेतु आवेदन

फार्म नं. 6

श्रीमान् दिनांक :

सचिव, ग्राम पंचायत ..../कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति ....

महोदय,

महात्मा गाँधी नरेगा योजना अंतर्गत मुझे/हमें निम्नानुसार अकुशल रोज़गार उपलब्ध कराने की कृपा करावें। हम सभी 5 श्रमिक एक ही समूह में काम करने के इच्छुक हैं/आवेदन 5 से कम श्रमिकों का होने के कारण हमें किसी भी समूह में सम्मिलित कर लिया जावे।

क्र. सं.	रोज़गार चाहने वाले श्रमिक का नाम	परिवार के मुखिया का नाम	जॉब कार्ड नं.	चाहे गये रोज़गार का विवरण			बैंक/जी.एस.एस./ पोस्ट ऑफिस मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या	खाता नं.	श्रमिक का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
				दिनांक से	दिनांक तक	कुल दिनों की संख्या			
1									
2									
3									
4									
5									

प्राप्ति रसीद

क्रम संख्या–1 पर दर्ज आवेदक श्री ....सहित अन्य .... आवेदकों का नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत....................................से रोज़गार मांगने का आवेदन पत्र दिनांक.............................. को प्राप्त हुआ।

सरपंच/वार्ड पंच/अधिकृत प्राप्तकर्ता का दायित्व है कि इस आवेदन पत्र को ग्रामसेवक/रोज़गार सहायक को 3 दिवस में आवश्यक रूप से पहुँचावें ताकि मांग अनुसार एवं निर्धारित 15 दिवस के अन्दर आवेदक को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके।

हस्ताक्षर

(सरपंच/वार्ड पंच/ग्राम सेवक/रोजगार सहायक/अधिकृतआवेदन प्राप्तकर्ता)

नाम : ....

पदनाम : ....